न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 359/2025
बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय स्टेशन रोड, कस्बा झुंझुनूं, पिन कोड 333001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबन्धक मुकेश कुमार शर्मा

–– प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री मालीराम शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं0 8, गणेशपुरा, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333042
2. श्रीमती प्रियंका पत्नि श्री अनिल कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं0 8, गणेशपुरा, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333042

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002
––

उपस्थितः–
एडवोकट श्री श्रवण कुमार सैनी– प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 25.09.2025

प्रार्थी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी/अप्रार्थी के पक्ष मे उनके आवेदन पर क्रेडिट सुविधा/वित्तीय सुविधा/टर्म लोन (बिजनैस/कंस्ट्रक्शन लोन) के पेटे 15,00,000/– रूपये अक्षरे पन्द्रह लाख रूपये की ऋण सुविधा खाता सं0 43580600001125 दिनांक 16.12.2022 स्वीकृत की गई थी। इस हेतु ऋणी/जमानतदारों ने आश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। उक्त ऋणी राशि प्रतिभूति करार के तहत निम्न प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है– अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड पट्टा संख्या 730, वार्ड नं0 8, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, नपति 51.75 वर्गमीटर अप्रार्थी अनिल कुमार शर्मा व श्रीमती प्रियंका के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से हैः–

पूरब	रास्ता 25 फुट	पश्चिम	लक्ष्मीनारायण
उत्तर	गली 3 फुट	दक्षिण	जयन्ति बील

अप्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण व ब्याज चुकाने मे चूक करने पर ऋणी के खाते को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 17.04.2025 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन0पी0ए0) के रूप मे वर्गीकृत कर दिया गया था। प्रार्थी बैंक द्वारा मांग नोटिस दिनांक 23.04.2025 द्वारा अ0 धारा 13(2) वित्तीय आस्तिों का प्रतिभूतिकण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन एक्ट 2002 के तहत प्रेषित कर 60 दिवस मे बकाया ऋण राशि 15,27,156,10 रूपये अक्षरे पन्द्रह लाख सताईस हजार एक सौ छप्पन रूपये दस पैसे मात्र मय ब्याज व खर्चा दिनांक 16.04.2025 से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान् का उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रतिभूति आस्ति को अपने कब्जे/नियन्त्रण मे लेकर प्रतिभूति लेनदार बैंक के सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है जिससे उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। गिरवीकृत सम्पत्ति जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार मे अवस्थित है– अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड पट्टा संख्या 730, वार्ड नं0 8, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, नपति 51.75 वर्गमीटर अप्रार्थी अनिल कुमार शर्मा व श्रीमती प्रियंका के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से हैः–

पूरब	रास्ता 25 फुट	पश्चिम	लक्ष्मीनारायण
उत्तर	गली 3 फुट	दक्षिण	जयन्ति बील

जिला कलक्टर झुंझुनूं

उक्त गिरवीकृत सम्पत्ति पर आज तारीख तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किस न्यायालय या अधीकरण द्वारा रोक नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालों से खाली करवा कर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाया जावे जिससे एक्ट के प्रावधानानुसार सम्पत्ति से बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

हमने प्रार्थी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड पट्टा संख्या 730, वार्ड नं0 8, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, नपति 51.75 वर्गमीटर अप्रार्थी अनिल कुमार शर्मा व श्रीमती प्रियंका के मालिकाना हक की है का पजेशन प्रार्थी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 25.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू